भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-156
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

सरकारी स्कूलों का बंद होना

†156. **एडवोकेट प्रिया सरोज:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान देश में कुल कितने सरकारी स्कूल बंद किए गए, विलय किए गए या गैर-कार्यशील किए गए है;
(ख) इस संबंध में उत्तर प्रदेश के लिए जिला-बार, विशेषकर जौनपुर, के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार देश में स्कूल बंद होने के कारण विस्थापित हुए छात्रों की संख्या का डेटा रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने उन जिलों में लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि देखी है, जहां स्कूल बंद थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए स्कूल शिक्षा के संकेतकों पर डेटा रिकॉर्ड करने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज़+) प्लस तैयार की है। यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक सरकारी स्कूलों की संख्या नीचे दी गई है।

वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
भारत	1022386	1016010	1017660

यूडाइज़+ के अनुसार, जौनपुर सहित उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक सरकारी स्कूलों की जिलेवार संख्या https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और स्कूलों को खोलना, बंद करना और युक्तिकरण करना संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 बच्चों को निर्धारित क्षेत्र या पड़ोस की सीमाओं के भीतर प्राथमिक विद्यालयों तक पहुँच प्रदान करता है। आरटीई अधिनियम की धारा 6 के अनुसरण में, सभी राज्यों ने अपने पड़ोस मानदंडों के क्षेत्र या सीमाओं को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 8 यह भी अनिवार्य करती है कि संबंधित सरकार प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी और पड़ोस में स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

इसके अतिरिक्त, यूडाइज़+ के अनुसार, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर लड़कियों की ड्रॉपआउट दर नीचे दी गई है:

वर्ष	लड़कियों की ड्रॉपआउट दर		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
2023-24	1.7	4.8	7.3
2024-25	0	3.1	5.1

******